



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 700]
No. 700]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 1996/अग्रहायण 8, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 1996/AGRAHAYANA 8, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(सड़क पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1996

का. आ. 840 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निदेश देती है कि संलग्न अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास अथवा रख-रखाव से संबंधित कार्यों के निष्पादन कार्य ऐसे राजमार्ग के सामने उक्त अनुसूची के कालम 3 में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा भी किए जा सकेंगे बशर्ते संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों के निष्पादन में उक्त अधिनियम के तहत बने तत्समय प्रवृत्त नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी।

अनुसूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 का वह खण्ड जो बिहार राज्य में पड़ता है।	बिहार राज्य सरकार
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 19 का वह खण्ड जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है।	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार

[सं. एन. एच.-14014/6/95-पी. एल.]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Roads Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1996

S. O. 840 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works relating to development or maintenance of the national highway described in column 2 of the Schedule hereto annexed shall be exercisable also by the State

Government specified in column 3 of the said Schedule against such highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force made under the said Act.

SCHEDULE

S. No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1.	So much of National Highway No. 19 as is situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar
2.	So much of National Highway No. 19 as is situated within the State of Uttar Pradesh.	State Government of Uttar Pradesh

[No. N. H. 14014/6/95-PL]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) & Addl. Secy.